प्राचार्य का संदेश

राजकीय विधि महाविद्यालय, बून्दी के नवीन सत्र में आप सभी छात्र–छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिन्नदन। राजकीय विधि महाविद्यालय, बून्दी, सन् 2006 में स्थापित हुआ था। इससे पूर्व यह राजकीय महाविद्यालय, बून्दी में एक संकाय के तौर पर संचालित हो रहा था। सन् 2020 से राजकीय विधि महाविद्यालय, बून्दी अपने स्वयं के भवन में संचालित हो रहा है, जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 14.07.2022 को वर्चुअल माध्यम से किया गया था। विधि महाविद्यालय में प्रारम्भ से ही गुणवतापूर्ण विधि शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा था, इसी का परिणाम है कि हमारें महाविद्यालय के पूर्व छात्र विधि क्षेत्र में न्यायाधीश, विधि शिक्षक, ख्यातनाम अधिवक्ता एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत है। हम अपने सभी विद्यार्थियों में इन सब गुणों को विकसित करते है जो कि वर्तमान युग में एक पेशेवर विधि व्यवसाय में होना अनिवार्य है।

राजकीय विधि महाविद्यालय, बून्दी, बून्दी जिले का एक मात्र विधि महाविद्यालय है। इसके साथ ही बून्दी जिले के साथ लगने वाले अन्य जिलें जिसमे चितौडगढ़, भीलवाडा, टोंक, सवाई माधोपुर जिले के दूर दराज के विद्यार्थी जिनमें खासकर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के गरीब विद्यार्थियों को विधि शिक्षा प्रदान करता है। महाविद्यालय में पुस्तकालय उपलब्ध है तथा विद्यार्थियों को प्रायोगिक रूप से विधि शिक्षा प्रदान करने के लिये महाविद्यालय में नियमित रूप से मूट कोर्ट एवं कोर्ट विजिट करवाई जाती है।

आज एक व्यक्ति को सफल होने के लिये उसका सर्वागींण विकास होना आवश्यक है। उसका बौद्धिक विकास के साथ शारीरिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये महाविद्यालय में नियमित रूप से खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

हमारा लक्ष्य विद्यार्थियों को प्रायोगिक माध्यम से शिक्षा प्रदान करना तथा उनका सम्पूर्ण विकास के साथ उनका चरित्र निर्माण करना है जिससे कि वें राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकें।

शुभ कामनाओं के साथ।

प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय,
बून्दी (राज0)